न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (कैम्प डीग)

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 11/25 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/83

उनवान

1. छिद्दी सिंह
2. हीरासिंह
3. श्यामसिंह

पुत्रगण देवीराम

4. रामवीरसिंह पुत्र स्व. रमन
   जाति जाट निवासी पूंछरी तहसील डीग।
5. चन्द्रवती पुत्री रमन पत्नी फूलसिंह, जाति जाट, निवासी धाना जीवना जिला मथुरा (उ.प्र.)

.....अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये जिला कलक्टर, डीग।
2. तहसीलदार, तहसील डीग

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 230/2004 वउनवानी छिद्दी सिंह व अन्य बनाम राज. सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री पंकज भूषण गोयल उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 21.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा मु.स. 230/2004 वउनवानी छिद्दी सिंह व अन्य बनाम राज. सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2024, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय से पेश किया था कि साविक आराजी खसरा नम्बर 553 रकबा 6 बीघा, 14 बिस्वा ग्राम पूँछरी डीग तहसील डीग में स्थित है। नवीन खसरा नम्बर 451 रकबा 0.28 एवं 452 रकबा 0.55 वाके ग्राम पूंछरी भू–प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व बन्दोवस्ती रिकार्ड सम्वत 1982 में गिरधर वगै० 1/4 राजाराम वगै० 1/4 व वादीगण के परवावा चिरंजी के निष्फ हिस्से के कब्जे काश्त व मिल्कियत की आराजी थी जिस पर वह अपने हिस्से के मुताविक काविज रहकर स्वयं काश्त करते चले आ रहे थे। उक्त सालिम आराजी विरजी परवावा वादीगण के हिस्से व कब्जे में आ गई। जिस पर वह स्वयं काविज रहकर काश्त करने लग गया। चिरंजी के एक मात्र लडका किशोरीलाल था जिसकी मृत्यु चिरंजी के जीवनकाल में हो गई। चिरंजी की मृत्यु के उपरांत किशोरीलाल मृतक का एक मात्र वारिस देवीराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उक्त आराजी पर वाहैसियत मालिक खुदकाश्तकार काबिज होकर काश्त करने लग गया व सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 553 पर काबिज काश्त था परन्तु सम्वत 2012 में जमावन्दी में वादीगण के पिता देवीराम के नाम आराजी मुत० के निष्फ हिस्से पर कब्जा काश्त वाहैसियत मालिक दर्ज रिकार्ड किया गया और शेष निष्फ' हिस्से में से 1/4 पर सुन्दर वगै० व 1/4 पर रामजीलाल वगै० का इन्द्राज गलत किया गया। उक्त नवीन खसरा नम्बर 452 को चारागाह एवं 452 को बिना किसी मौका व कब्जा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के भू-प्रबंध विभाग द्वारा कर दिया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (23) सपठित धारा 5 (25) एवं धारा 10 व 13 के अन्तर्गत वादीगण आराजी मुत० के कानूनन खातेदार हो चुके है। परन्तु वादीगण की जानकारी के बिना राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज किया जा रहा है। पूर्व में प्रति० सख्या 02 द्वारा आराजी के सम्बन्ध मे वादीगण को धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस दिया था जो वादीगण का अधिकार व कब्जा मानते हुए ड्रॉप कर दिया। दावे के अन्त में निवेदन किया कि वादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 451 व 452 वाके ग्राम पूँछरी पर खातेदार घोषित कर इन नम्बरान पर हो रहे चारागाह व सिवायचक मकबूजा मालिकान इन्द्राजाज को बेअसर घोषित करने एवं दुरूस्त करने तथा प्रतिवादीगण को 'स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करने की आज्ञा फरमायें। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया तथा उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.09.2024 को वादीगण का दावा अस्वीकार कर खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज भूषण गोयल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट वावजूद तामील अनुपस्थि रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की वहस सुनी गयी।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने वहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि साविक आराजी खसरा नंवर 553 रकवा 6 वीघा 14 विस्वा ग्राम पूछरी तहसील डीग में स्थित है जिससे नवीन खसरा नवर 451 रकवा 0.28 है0 व 452/0.55 है० वाके ग्राम पूछरी तहसील डीग भू प्रवंध विभाग द्वारा वनाये गये है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान जमीदारी विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व वंदोवस्ती रिकोर्ड संवत 1982 में गिरधर वगैरा हिस्सा 1/4 व राजाराम वगैरा 1/4, व वादीगण अपीलांटस के परदादा चिंरजी के निस्फ हिस्से के कब्जे काश्त व मिलकीयत की आराजी थी जिस पर वह अपने हिस्सा के मुताविक काविज रहकर स्वयं काश्त करते चले आरहे थें सन् 1940 के आसपास उक्त व्यक्तियो ने आपस में वाहमी वटवारा कर लिया और उक्त सालिम आराजी चिरंजी परवावा वादीगण के वाहिद हिस्से व कब्जे में आ गयी जिस पर वह स्वयं काविज रहकर काश्त करते थे चिंरजी के एक मात्र लडका किशोरीलाल था जिसकी मृत्यु चिंरजीलाल के जीवनकाल में हो गयी चिंरजी की मृत्यु के उपरांत किशोरीलाल मृतक का केवल एक मात्र वारिस देवीराम उक्त आराजी पर वहैसियत मालिक खुद काश्तकार काविज होकर काश्त करने लगा व संपूर्ण आराजी खसरा नवर 553 पर काविज काश्त था। परंतु संवत 2012 में जमावंदी मे वादीगण के पिता देवीराम के नाम आराजी मुत० के निस्फ हिस्से पर कब्जा काश्त वहैसियत मालिक दर्ज रिकौर्ड किया गया व शेष आधे हिस्सा मे से 1/4 पर सुन्दर वगैरा व 1/4 पर रामजीलाल वगैरा का इन्द्राज गलत किया गया। उक्त खसरा नंवर 553 से जो नये नंवरान 451 व 452 के तीन तरफ अन्य काश्तकारो की

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आराजी है व चौथी तरफ गैरमुमकिन नाला है आराजी मुत० कभी भी चारागाह व सिवाय चक के काम में नही आयी है क्योकि उक्त आराजी खसरा नंबर में पशुओ के आने जाने के लिये कोई रास्ता नही है किन्तु नवीन खसरा नंबर 452 को चारागाह विना किसी मौका व कब्जा विना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के भू प्रबंध विभाग द्वारा कर दिया गया है जवकि राज० काश्त० अधि० द्वारा धारा 5 (23) सपठित धारा 5 (25) एवं धारा 10 व 13 के अंतर्गत वादीगण आराजी मुत० के कानूनन खातेदार हो चुके है परंतु वादीगण अपीलांट की जानकारी के विना राजस्व रिकौर्ड में गलत इन्द्राज किया जा रहा है। पूर्व में प्रतिवादी रेस्पो० सं०2 द्वारा विवादित आराजी के संबंध में वादीगण अपीलांट धारा 91 एल. आर.एक्ट का नोटिस दिया था जो वादीगण अपीलांटस का अधिकार व कब्जा मानते हुये ड्रोप कर दिया। जिस पर प्रतिवादी रेस्पो० सं01 व 2 ने स्वयं उपस्थित आकर अपना लिखित जवाव दावा पेश कर अभिकथन किया कि विवादित आराजी चारागाह है इसलिये राज० काश्त अधि० की धारा 16 के अनुसार खातेदारी नहीं दी जा सकती और दावा खारिज की प्रार्थना की दावा व जवाव की प्लीडिंग्स के आधार पर दावे में नियमानुसार तनकीयात कायम की गयी। जिसके वाद अपीलान्ट्स ने अपनी साक्ष्य मे चार गवाहन व दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमावंदी संवत 1982 नकल जमावंदी संवत 2012 खसरा गिरदावरी संवत 2033 ल0 2035 व 2042 लगायत 2045 संवत 2049 लगायत 2055 व 2057 ल० 2059 वसंवत 2061 से 2063 पेश किये गये तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के निर्णय दिनांक 29.06.2010 मिलान क्षेत्रफल तहसीलदार डीग का 91 एल आर एक्ट दिनाक 16/05/2000 तहसीलदार की मौका रिपोर्ट नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये गये है सुयोग्य अदालत तहत ने तनकी सं01 को वादीगण अपीलांटस के पक्ष मे निर्धारित करते हुये यह पाया कि वादीगण आराजी खसरा नंबर 451/0.28 व 452/0.55 बाके ग्राम पूछरी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करापाने के अधिकारी है तथा तनकी सं0 3 को प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत करते हुये यह पाया कि वादग्रस्त भूमि चारागाह की नही है परंतु तनकी सं0 2 का निर्णय वादीगण अपीलांट के विरूद्ध करते हुये दावा वादीगण खारिज कर दिया गया जो कतई खिलाफ कानून के है। अदालत तहत ने अपने निर्णय मे जो मुख्य बिन्दू लिया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी की है और वादीगण स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है बाद साक्ष्य व रिकौर्ड से वादीगण के पक्ष में पाया और वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी पाया परंतु फिर भी दावा वादीगण खारिज करने में सारभूत भूल की है इसलिये निर्णय व डिक्री काबिले अपास्त के है। अदालत तहत ने केवल इस आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया है कि विवादित खसरा नंबर वर्तमान में राज्य सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है और लोक हित के लिये आवंटित है इसलिये वादीगण को उसके खातेदारी अधिकार अधिभूत हो जाने के बावजूद जब तक सक्षम न्यायालय से उक्त आवंटन निरस्त नहीं होता तब तक वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अदालत तहत का उक्त निष्कर्ष कानूनन उचित नहीं है क्योकि विधि एव संविधान के अंतर्गत हर व्यक्ति का 'अपनी संपत्ति रखने का मूलभूत अधिकार प्राप्त है और व्यकितगत अधिकारो को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये लोक हित के लिये समाप्त नहीं किया जा सकता चूँकि अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को वादीगण के अधिकार साक्ष्य के विस्तृत विवेचन के बाद पाये है इसलिये वादीगण को खातेदारी देने से केवल इस आधार पर नही रोका जा सकता कि उक्त आराजी पूर्व मे कलक्टर द्वारा हर्बल आयुर्वेदिक हर्बल गार्डन के लिये आवंटित की जा चुकी है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्तनीय है। अदालत तहत ने इस तथ्य की ओर कतई ध्यान नही दिया कि कलक्टर भरतपुर द्वारा सक्षम न्यायलय के सिविल कोर्ट में विभाजन आराजी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

स्थगन आदेश के बावजूद स्टे से पावद रहने के दौरान आवंटन किया है जो कि विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है इसलिये उक्त आवंटन आदेश की कानून की नजर मे कोई अहमियत नही है और उसका कोई प्रभाव वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने पर नहीं पडता है इसलिये सुयोग्यय अदालत तहत निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी वहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2024 का है जिसकी नकल हेतु उसी दिन आवेदन कर दिया जिसकी नकल अधिवक्ता को दिनांक 19.09.2024 को प्राप्त हुई नकल प्राप्त होने की कोई सूचना अधिवक्ता ने अपीलान्ट को नहीं दी। इसके पश्चात् अपीलान्ट छिद्दी जो मुकदमा की पैरोकारी करते हैं, वुखार से पीड़ित हो गया और चलने–फिरने की स्थिति में नहीं रहा बीमारी व अत्यधिक व्यस्तता के कारण अपील अन्दर म्याद पेश नहीं कर सका ना ही अपने वकील साहब से सम्पर्क कर सका अव स्वस्थ होने पर दिनांक 05.03.2025 को वकील साहव से सम्पर्क किया तो उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई इसलिए जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का कारण बीमारी था जो काबिल क्षम्य है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट द्वारा पेश अपील में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर सुयोग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर डीग व उनवानी का निर्णय व डिक्री दिनांक 06/09/2024 छिददीसिहव अन्य बनाम राज० सरकार राजस्व वाद सं० 230/2004 दावा अंतर्गत धारा व 88,89 व, 188 आर टी एक्ट वादीगण अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्रदान ना करने की हद तक अपास्त फरमाया जाकर और वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुये दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे।

6. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 07.03.2025 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

7. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा न तो कोई जबाब पेश किया एवं न ही काउन्टर क्लेम किया गया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपीलान्ट द्वारा पेश अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जवाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी सं. 1 :– आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर स्वयं खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
तनकी सं. 2 :– आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर प्रति० को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है?
तनकी सं. 3 :– आया वादग्रस्त भूमि चारागाह है जिस पर राज०काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते?
4. दादरसी?
अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1 व 3 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

उक्त दोनों तनकी एक दूसरे से सम्बन्धित है। इसलिए इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी जमाबन्दी सम्वत 2012 में सुन्दर वगै० 1/4 देवीराम निष्फ व रामजीलाल 1/4 मकबूजा मालिकान के रूप में खसरा नम्बर 553 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा पर खुदकाश्त के रूप में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2033 लगा० 2064 में उक्त आराजी पर गत खसरा नम्बर 553 व उससे बने नवीन 451–452 पर निरन्तर काश्त होना व उसमें चना, गेहूँ, सरसों, बाजरा आदि फसलें जो काश्त से उपज होती है। पत्रावली पर पटवारी की रिपोर्ट मॉजूद है जिससे यह अंकित किया है कि उक्त खसरा नम्बर 451–452 पूँछरी में पशुओं की आने जाने हेतु कोई रास्ता माजूद नहीं है तथा उक्त खसरा नम्बरान पर वादीगण का कब्जा व काश्त है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार डीग के 91 के आदेश में यह अंकित किया है कि गलती से वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 451 व 452 पर सिवायचक व चारागाह दर्ज कर दिया है। जिसको वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। पत्रावली पर उपलब्ध अति० जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 29.06.2010 जो उन्होंने धारा 91 एल.आर.एक्ट की अपील में पारित किया है में न्यायालय अति० कलक्टर महोदय ने यह विवेचन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 451–452 के गत खसरा नम्बर 553 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम पूँछरी अपीलाण्ट के पूर्वजों के खोतदारी के कब्जे काश्त का रकबा रहा है। जिसे बन्दोवस्त विभाग द्वारा सिवायचक व चारागाह दर्ज कर दिया है तथा अपीलाण्ट एवं पूर्वजों के खातेदारी के कब्जे काश्त का रकबा रहा है। जिसे बन्दोवस्त विभाग द्वारा सिवायचक व चारागाह दर्ज कर दिया है तथा अपीलाण्ट एवं पूर्वजों का आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित मानते हुए उक्त खसरा नम्बरान की वादीगण के पक्ष में नियमन की सिफारिश की है तथा मौखिक साक्ष्य से भी वादीगण का सम्वत 2012 व उससे पूर्व से कब्जा होना प्रमाणित है व उनकी खुदकाश्त होना प्रमाणित है। धारा 13 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक खुदकाश्त की आराजी है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादीगण स्वयं को विवादित आराजी खसरा नम्बर 451 व 452 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है।

प्रतिवादी का कथन की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती परन्तु स्वयं प्रति० की यह रिपोर्ट उपलब्ध है कि उक्त खसरा नम्बर में पशुओं के आने जाने का कोई रास्ता मॉजूद नहीं है तथा स्वयं प्रति० संख्या 02 ने अपने 91 के आदेश में यह माना है कि उक्त खसरा नम्बर पर बन्दोवस्त विभाग द्वारा चारागाह का गलत इन्द्राज कर दिया है। इसलिए उक्त खसरा नम्बर 452 को चारागाह की भूमि नहीं माना जा सकता और धारा 16 के प्रावधान

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

लागू नहीं होते इसके अलावा तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में व तनकी संख्या 03 प्रति० के विरूद्ध निर्णीत की गई है परन्तु वर्तमान जमावन्दी में उक्त खसरा नम्बर 451 व 452 को जिला कलक्टर महोदय भरतपुर द्वारा आयुर्वेद हर्वल गार्डन के लिए आवंटित होना जमाबन्दी से स्पष्ट है। वादीगण का कथन रहा कि उक्त आवंटन माननीय सिविल न्यायाधीश डीग के स्टे के दौरान किया गया है जिसके आदेश की प्रति वकील वादीगण ने प्रस्तुत की गई। परन्तु वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान 451 व 452 सक्षम अधिकारी के आदेश से आवंटित है और राज्य सरकार के नाम दर्ज है इसलिए जब तक सक्षम न्यायालय से उक्त आवंटन निरस्त नहीं होता तब तक वादीगण को विवादित आराजी की खातेदारी प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 1 व 3 के संबंध मे निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 व 3 सही रुप से निर्णीत की गई हैं क्योंकि वर्तमान में विवादित भूमि खसरा नम्बर 451 व 452 आयुर्वेद हर्वल गार्डन के लिए आवंटित की गयी है एवं पूर्व में भूमि चारागाह भूमि दर्ज रही थी जिस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1 व 3 का पूर्ण विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 2 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

वर्तमान में विवादित खसरा नम्बरान राज्य सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है और लोकहित के लिए आवंटित है इसलिए वादीगण प्रति० के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 2 के संबंध मे निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 2 का निर्णय भी पूर्ण विवेचन करते हुए विधिसम्मत रुप से सही पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने दादसरी का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेख विवरण अनुसार हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट, को अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

न्यायालय हाजा का दादरसी के संबंध मे निर्णय निम्न प्रकार है :–

इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सभी तनकीयों का पूर्ण विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2024 यथावत रखे जाते हैं।
10. निर्णय आज दिनांक 21.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर (कैम्प डीग)
व इजलास श्री रिछपाल सिंह बुरड़क (आर0ए0एस0)

राजस्व अपील संख्या :– 11/25 (223 आर.टी.एक्ट)
जीरीएमएस नम्बर :– 2025/83

उनवान

1. छिद्दी सिंह
2. हीरासिंह
3. श्यामसिंह

पुत्रगण देवीराम

4. रामवीरसिंह पुत्र स्व. रमन
   जाति जाट निवासी पूंछरी तहसील डीग।
5. चन्द्रवती पुत्री रमन पत्नी फूलसिंह, जाति जाट, निवासी धाना जीवना जिला मथुरा (उ.प्र.)

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये जिला कलक्टर, डीग।
2. तहसीलदार, तहसील डीग

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 230/2004 बउनवानी छिद्दी सिंह व अन्य बनाम राज. सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

यह अपील .....21.....माह.....05.....सन्.....2026.....व ..... मिनजानिब अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता **श्री पंकज भूषण गोयल** एड....., एवं उपस्थित एवं रेस्पोडेन्ट बाबजूद तामील अनुपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि..... **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2024 यथावत रखे जाते हैं।**

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....21.....माह.....05.....सन्.....2026.....को जारी की गई।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।